न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/91/2021

अपीलांट दलपत सिंह गहलोत पुत्र श्री ब्रह्म सिंह गहलोत
निवासी "ब्रह्म–मोहन" सुमेर स्कूल के पीछे कागा की डांडी जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 08.12.2021

अपीलार्थी दलपत सिंह गहलोत पुत्र श्री ब्रह्म सिंह गहलोत निवासी "ब्रह्म–मोहन" सुमेर स्कूल के पीछे कागा की डांडी जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 412486 दिनांक 05.10.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 1363 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा प्रार्थी को नियमानुसार नियत शुल्क अदायगी पर उपलब्ध करवाने की सूचना दी गई है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस हेतु कोई शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी को नियमानुसार नियत शुल्क अदायगी की सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई है, किन्तु प्रार्थी द्वारा नियत शुल्क आदिनांक जमा नहीं करवाया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन हो[illegible]रिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.01.06 12:17:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.12.2021 को न्यायालय[illegible] सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर